

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

उपखण्ड अधिकारी
दीवासर

मुकाम व

दीवारीन अधिकारी — शमोराज वर्मा ठार. ए. एस.
नदरिगोर बनाम केसरदेवी खांडे

दावा बाबत

मुकदमा न० 42/17 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु

हाजरी श्री सुवीर भाग्य ६५ मिनजानिब मुद्दई व मो० अमीन शेख ६५


मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

का वाद पत्र इस प्रकार जारजिक डिक्ली किया जाता है कि शेरि संघिमाल कडी नदरिगोर
दीवासर के ख० सं. 125 नदरिगरी 17-13 विया ख० सं. 146 नदरिगरी 14-00 विया
ख० सं. 202 नदरिगरी 7-10 विया ख० सं. 309 नदरिगरी 10-13 विया ख० सं. 154
नदरिगरी 10-11 विया वादे शेरि संघिमाल कडी ख० सं. 154 नदरिगरी 10-10 विया जिन्हे
उनाते ख० सं. 93 नदरिगरी 5-02 विया प्रतिवादी सं. 1 ना 7 के पूर्वज के नाम से
कानेदारी क कब्जा कायत भी प्रमि है व ख० सं. 94 नदरिगरी 5-09 विया प्रमि
जागीर के समय से वादी एवं गौण प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 ना 23 के पिता/
सुखर/दादा स्व. रावनाथ एवं छिलमनाथ के कानेदारी कब्जा कायत उपयोग की
है वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संग्राहक इस प्रकार किया जावे कि नाद गत
ख० सं. 154 नदरिगरी 10-11 विया में से 5-09 विया प्रमि वादी एवं गौण
प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादी सं. 8 ना 23 का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे
व ख० सं. 154 नदरिगरी 10-11 विया में से 5-02 विया प्रमि प्रतिवादीगण
सर्वना 1 ना 7 के नाम राजस्व रेकार्ड में कानेदारी दर्ज की जावे।

चीज मुबलिया बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख
वसूलमाबी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २२ माह ०७ 2013



मुहर

दस्तखत

ओहदा उपखण्ड अधिकारी
दीवासर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कनिस्तर		